राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या –27/2015/अजमेर

नारायण शिक्षण संस्थान,
जरिये– श्री नवीन चौरसिया पुत्र श्री ओमप्रकाश चौरसिया,
निवासी–96/16, शांति सुधा भवन, राजपुरोहित डेयरी के सामने, तोपदड़ा, अजमेर। । ......प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये–उपपंजीयक–द्वितीय, अजमेर।
2. श्रीमति रीना चौरसिया, निवासी–96/16, शांति सुधा भवन, तोपदड़ा, अजमेर। .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के.जी.खत्री,
अभिभाषक। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.04.2015

निर्णय

अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह **निवेदन किया गया है कि पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 में टंकरण त्रुटि के कारण निर्णय के पृष्ठ कमांक–1 के प्रथम पैरा में प्रकरण संख्या 108/2013 के स्थान पर प्रकरण संख्या 1108/2013 अंकित हो गया है। अतः उक्त रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल होने के कारण उक्त को संशोधित करने की प्रार्थना की गयी।**

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत परिशोधित प्रार्थना पत्र व दिये गये तर्क से सहमति रखते हुये पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 को उक्तानुसार संशोधित करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 का अवलोकन किया गया, जिसमें टंकण की त्रुटि के कारण निर्णय के पृष्ठ कमांक 1 की प्रथम पैरा की पंक्ति–5 में **प्रकरण संख्या 1108/2013** अंकित हो गया है, जबकि **प्रकरण संख्या 108/2013** अंकित होना चाहिये था। अतः उक्त टंकण संबंधी भूल होने के कारण निर्णय के पृष्ठ कमांक 1 की प्रथम पैरा की पंक्ति–5 में **प्रकरण संख्या 1108/2013** के स्थान पर **प्रकरण संख्या 108/2013** अंकित कर, उक्तानुसार संशोधन किया जाता है। जिसे उक्तानुसार ही पढ़ा जाये।

परिणामतः, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

27.4.2015

(मदन लाल)
सदस्य